न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/109

बुद्धिप्रकाश आत्मज स्व0 कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम गावडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. सन्तरा पुत्री भंवरलाल अवैध पत्नी स्व0 कजोड जाति मीणा निवासी ग्राम खेरूणा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
2. गम्मू बाई उर्फ शिवा कुमारी पुत्री स्व0 कजोड़ जाति मीणा निवासी ग्राम खेरूणा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
3. चिंटू आत्मज स्व0 कजोड़ जाति मीणा निवासी ग्राम खेरूणा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. गिरिराज आत्मज स्व0 नन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम गावडी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखाा नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1.लीलाधर सिंह– अधिवक्ता अपीलांट
2.शिफा उल हक– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3.गिरिराज गोचर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4
4.पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6

निर्णय **दिनांक 14.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 69/दावा/2019 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 09.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का

प्रस्तुत किया कि ग्राम गांवडी तहसील नैनवां की खाता संख्या 88 मे दर्ज खसरा संख्या 389 रकबा 2 बीघा, खसरा सख्या 390 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सख्या 394 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 395 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 398 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 399 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 415 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 एवं अपीलांट प्रतिवादी संख्या की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का उक्त आराजीयात मे 3/4 हिस्सा दर्ज है तथा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजीयात मे 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम गावडी तहसील नैनवां की आराजी चाह संख्या 391 से उक्त वर्णित वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात सिचित होती है। उक्त आराजी चाह संख्या 391 मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 2/9 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का विभाजन नहीं हुआ है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का नियमानुसार विभाजन किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 3/4 का हिस्सा पृथक रूप से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया ।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। दिनां 09.12.2021 को पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलांट प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प–कोर्ट मे उपस्थित नहीं थे। न्यायहित मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद

अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया व पत्रावली दिनांक 25.07.2019 को नियत की गई। दिनांक 25.07.2019 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। पत्रावली दिनांक 26.09.2019 को पेश हुई उस दिन अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने जवाब हेतु अवसर चाहा। उसके बाद दिनांक 26.02. 2020 को जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 26.08.2021 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 14.09.2021 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का जवाबदावा बन्द किया गया एवं उक्त दिनांक को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई इसके बावजूद भी एकपक्षीय साक्ष्य के लिये दिनांक 09.12.2021 की तारीख पेशी नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 09.12.2021 को पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्पकोर्ट कोलाहेडा मे पेश हुई। उक्त केम्प मे ही एकपक्षीय साक्ष्य बन्द की जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की एकपक्षीय बहस सुनकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेशिका दिनांक 14.09.2021 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई फिर भी दिनांक 09.12.2021 को पत्रावली राजस्व केम्प कोलाहेडा मे रखी जाकर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व केम्प मे उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिनमे उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत होता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिये बिना व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा सुनवाई करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट के पिता स्व0 कजोड़ आत्मज नन्दा कौम मीणा की खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। खसरा संख्या 391 रकबा 7 बिस्वा गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम गावडी तहसील नैनवा मे विस्थित है जिसमे अपीलांट के पिता कजोड़ का संयुक्त हिस्सा दर्ज है। अपीलांट के पिता कजोड की वैध विवाहिता पत्नी अपीलांट की माता रमेशी बाई के नुत्फे से केवल एकमात्र पुत्र अपीलांट पैदा हुआ। अपीलांट की माता रमेशी बाई का देहान्त दिनांक 20.04.1998 को हो गया। अपीलांट की माता रमेशी बाई के देहान्त के 2–3 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतरा अपने विवाहित पति को छोड़कर अपीलांट के पिता के पास नाजायज रूप से रहने लगी जबकि संतोष का सप्तपदी प्रथा से विवाह ग्राम देवरिया तहसील नैनवां के फोरूलाल मीणा के साथ हुआ है , जो वर्तमान मे जीवित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने विवाति पति से बिना तलाक लिये नाजायज रूप से अपीलांट के पिता के पास रहने लगी तथा उसके नुत्फे से एक पुत्र चिंटू व एक पुत्री गम्मू बाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 पैदा हुए। अपीलांट के पिता कजोड़ की मृत्यु दिनांक 10.09.2012 को हो गई। अपीलांट के पिता की मृत्यु के सारे संस्कार अपीलांट ने सम्पादित किये। अपीलांट के पिता की मृत्यु के

एक माह बाद ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतरा अपने पुत्र चिंटू व पुत्री गम्मू बाई को अपने साथ लेकर अपने पीहर ग्राम खेरूणा चली गई, तब से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ग्राम खेरूणा मे निवास करते चले आ रहे है। अपीलांट ने अपने पिता का कर्जा चुकाया है एवं उक्त भूमि को रूपये लगाकर काबिल काश्त बनाया है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर वर्तमान मे अपीलांट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट के पिता की असमय मृत्यु हो जाने से अपीलांट अपने आप को संभाल नहीं पाया क्योंकि अपीलांट के माता–पिता दोनो की मृत्यु हो गई इसलिये काफी समय तक सदमे मे रहा। अपीलांट के सदमे मे रहने का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतरा व उसके भाई मुकेश ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद नामान्तरण संख्या 605 दिनांक 02.02.2013 को खुलवा लिया जिसमे कजोड के स्थान पर बुद्धिप्रकाश, चिंटू पिता कजोड , गम्मू बाई पुत्री कजोड, संतरा बाई पत्नी कजोड कौम मीणा चिंटू व गम्मूबाई नाबालिग की संरक्षक माता सन्तराबाई सा0 देह खातेदार दर्ज करवाया एवं उसी अनुसार जमाबंदी मे नाम दर्ज करवाया। नामान्तरकरण मे अंकित सजरे मे मृतक कजोड़ की बेवा का नाम रमेशीबाई अंकित है, तथा कॉलम संख्या 9 मे रमेशीबाई को काटकर संतराबाई अंकित किया हुआ है। उक्त कांट–छाट शुद्धि पत्र संख्या 1 के आधार पर की गई है परन्तु पत्रावली मे कहीं भी शुद्धि पत्र संख्या 1 उपलब्ध नहीं है। अपीलांट की माता रमेशी बाई अपीलांट बुद्धि प्रकाश के पिता कजोड़ की वैध विवाहिता पत्नी है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सन्तरा ग्राम खेरूणा तहसील नैनवां की निवासी है जो भंवरलाल मीणा की पुत्री है जिसका ससुराल डोकून है जो फोरूलाल मीणा की वैध विवाहिता पत्नी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं को अपीलांट के पिता की वैध विवाहिता पत्नी बताकर राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए फर्जी तरीके से राजस्व विभाग से शुद्धि पत्र संख्या 1 दिनांक 24.07.2013 को जारी करवाकर फर्जी तरीके से नामान्तरण संख्या 605 मे कांटछाट कर जमाबंदी मे स्वयं का नाम फर्जी तरीके से इन्द्राज करवा लिया। अपीलांट की जाति मीणा होने के कारण मीणा जाति मे पुत्र जीवित हो तो पुत्री को पिता की कृषि भूमि मे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इस कारण नामान्तरण मे गम्मू बाई का नाम भी अवैध रूप से दर्ज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण संख्या 605 दिनांक 02.02.2013 प्रारंभ से ही अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से कानूनन खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलांट के अधिकारों के प्रति उक्त नामान्तरण निष्प्रभावी है। वादग्रस्त आराजीयात का विरासतन मालिक व स्वामी स्वयं अपीलांट है एवं वर्तमान मे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट के पिता व अपीलांट की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे आते है, इस कारण मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। मीणा जाति मे यदि एक पिता के पुत्र संतान जीवित है तो पिता की कृषि भूमि मे पुत्रियों का कानूनन कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। हमारे द्वारा विधिवत नामान्तरण को भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी गई है। प्रश्नगत भूमि पर हमारा कब्जा है। इस कारण उक्त प्रकरण मे गम्मू बाई पुत्री कजोड का नाम दर्ज करके उसके पक्ष मे निर्णय पारित किया गया है जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतरा अपीलांट के पिता की वैध विवाहिता पत्नी नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण एवं अपीलांट के पिता कजोड की स्वअर्जित भूमि नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.

डी. 1998 पेज 319, आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.आर.डी. 1989 पेज 284, आर.आर.डी. 2000 पेज 591, आर.आर.डी. 1988 पेज 61, आर.आर.डी. 1995 पेज 448, आर.आर.डी. 1981 पेज 361, आर.आर.डी. 2002 पेज 738, आर.आर.डी. 2002 पेज 31, आर.आर.डी. 2019 पेज 206 प्रस्तुत किया गया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2021 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से विवादित आराजीयात के संबंध मे बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा बन्द किया गया। पत्रावली कैम्प कोई मे नियत की गई जिसके अपीलांट को सम्मन नोटिस जारी किये गये परन्तु अपीलांट कैम्प मे उपस्थित नहीं हुआ। मीणा जनजाति मे प्रचलित रिती–रिवाज के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतरा को कजोड़ की पत्नी के रूप मे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। राशन कार्ड , आधार कार्ड आदि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि संतरा कजोड़ की पत्नी है। वादग्रस्त आराजीयात का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष मे विरासतीय नामान्तरण संख्या 605 दिनांक 02.02.2013 को स्वीकृत किया गया है । उक्त नामान्तरण संख्या 605 की अपील किये जाने के संबंध मे कोई दस्तावेज अपीलांट ने पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र को वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज पक्षकारान के हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.12.2021 के अनुसार पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट कोलाहेड़ा मे पेश हुई। पत्रावली पर अंकित है कि, पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। परन्तु पत्रावली मे संलग्न नोटिस के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि अपीलांट बुद्धिप्रकाश को जारी नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई। आदेशिका पर यह भी अंकित है कि बहस उपस्थित वादीगण की सुनी गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट न तो स्वयं और न ही उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट मे उपस्थित थे। आदेशिका दिनांक 09.12.2021 पर भी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना भी आदेशिका दिनांक 09.12.2021 पर अंकित नहीं है। यदि प्रतिवादीगण

का जवाब भी बंद किया गया है तब भी उन्हे बहस व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। प्रशासन गावों के संग अभियान मे कैम्प कोर्ट मे बिना अपीलांट की उपस्थिति व बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया जाना विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः हमारे विनम्र मत मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 स्पीकिंग व रिजन्ड भी नहीं है तथा उत्तराधिकार के संबंध मे कोई स्पष्ट विवेचन व विश्लेषण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय प्रशासन गावों के संग अभियान मे कैम्प–कोर्ट मे पारित कियाहै, जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 69/2019 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 10.03.2023 को उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकार
कोटा(राज0)